



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233054
CG-DL-E-01022022-233054

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]
No. 76]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सं. 02/2022-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 76 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

I. सारणी में, -

(1) क्र.सं. 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(2) क्र.सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(3) (क) क्र.सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. संख्यांक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“6.	0306	जीवित वन्यामेई झींगा (लिटोपेनियस वन्यामेई)	10%	-	-
6क	0306	लाइव ब्लैक टाइगर झींगा (पीनायस मोनोडोन)	10%	-	-
6ख.	0306 19 00	हिमशीतित क्रिल्ल	15%	-	-
6ग.	0307 32 00	हिमशीतित शंबूक	15%	-	-
6घ.	0307 43 20	हिमशीतित समुद्रफेनी	15%	-	-” ;

(ख) क्र. सं. 6, 6क, 6ग, 6घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(4) क्र. संख्यांक 12, 13, 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(5) क्र. सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“15	0511 10 00	गोजातीय वीर्य	5%	-	-” ;

(ख) क्र. सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(6) क्र. सं. 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(7) क्र. सं. 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(8) क्र. सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(9) क्र. सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(10) क्र. सं. 29, 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(11) क्र. सं. 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(12) क्र. सं. 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(13) क्र. संख्यांक 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(14) क्र. सं. 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(15) क्र. सं. 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(16) (क) क्र. सं. 51 के सामने, स्तंभ 4 में प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टि “5%”, रखी जाएगी ;

(ख) क्र. सं. 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(17) क्र. सं. 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(18) क्र. सं. 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(19) क्र. सं. 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“80क	1518	जलीय भोजन के विनिर्माण के लिए शैवालीय तेल	15%	-	9” ;

(20) क्र. सं. 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(21) क्र. सं. 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(22) (क) क्र. सं. 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“91क.	1801 00 00	संपूर्ण या टूकड़े, कच्चे या भुने हुए कोकोबीन	15%	-	-” ;

(ख) क्र. सं. 91क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(23) क्र. सं. 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(24) क्र. सं. 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(25) क्र. सं. 100 के सामने स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “2008 93 00, 2202 99” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(26) क्र. सं. 106, 117 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(27) क्र. संख्यांक 119क, 120, 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(28) क्र. सं. 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(29) क्र. सं. 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(30) क्र. सं. 124 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(31) क्र. सं. 127 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(32) क्र. संख्यांक 129, 130 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(33) क्र. सं. 132 के सामने, स्तंभ (3) में,

(क) खंड (क) में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्र. सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” –

(ख) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(34) क्र. संख्यांक 134, 135, 136, 137, 138 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(35) क्र. संख्यांक 142, 143, 144, 146, 147, 147क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(36) क्र. सं. 147क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“147ख	271019	ईंधन तेल	2.5%	-	-,
147ग	271019	स्ट्रेट रन ईंधन तेल	2.5%	-	-,
147घ	271019	निम्न गंधक मोम अवशेष	2.5%	-	-,
147ङ	271019	निर्वात गंधक, घोल	2.5%	-	-,
147च	271019	निर्वात गैस तेल	2.5%	-	-, ” ;

(37) क्र. सं. 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(38) क्र. सं. 154 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(39) क्र. संख्यांक 156, 157, 157क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(40) क्र. संख्यांक 159, 161 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(41) क्र. सं. 166 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टियों के स्थान पर “28, 29, 30 या 38” प्रविष्टियां रखी जाएगी ;

(42) क्र. सं. 166 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“166 क.	28, 29 या 30	निम्नलिखित के विनिर्माण में प्रयुक्त थोक औषधियां	5%	-	9
		(i) पोलियो टीका (निष्क्रिय और जीवित)	5%	-	9”;
		(ii) एकघटक इनसूलिन	5%	-	9”;

(43) क्र. सं. 167 के सामने, स्तंभ (3) में,

(क) खंड (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) इस प्रकार विलोपित खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी जो 31 मार्च, 2024 तक प्रवृत्त होंगी, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)	(6)
“(घ) निम्नलिखित विनिर्माण में प्रयुक्त थोक औषधियां (i) पोलियो टीका (निष्क्रिय और जीवित) (ii) एकघटक इनसूलिन	शून्य शून्य	- -	9 9”;

(44) क्र. सं. 167 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“167 क.	30 या 9804	दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए प्रयुक्त औषधियां और दवाईयां	शून्य	-	112”;

(45) (क) क्र. सं. 169 के सामने, स्तंभ (2) में “2823 00 10” प्रविष्टि के पश्चात् “2837 11 00” प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी ;

(ख) क्र. सं. 169 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(46) क्र. सं. 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(47) क्र. सं. 173 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(48) क्र. सं. 174 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(49) क्र. सं. 175 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(50) क्र. सं. 178 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(51) क्र. सं. 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(52) क्र. सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(53) क्र. सं. 185 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(54) क्र. सं. 187 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(55) क्र. सं. 192 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(56) क्र. सं. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(57) क्र. सं. 200 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “2.5%” रखी जाएगी ;

(58) क्र. सं. 200, 201, 202क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(59) (क) क्र. सं. 204 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“204 क.	2915 21 00	एसिटिक अम्ल	5%	-	-” ;

(ख) क्र. सं. 204क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(60) क्र. संख्यांक 206, 207, 208, 210, 211 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(61) क्र. सं. 215, 216, 216क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(62) क्र. सं. 219 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(63) क्र. सं. 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(64) क्र. संख्यांक 231, 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(65) क्र. संख्यांक 233, 234, 235, 236 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(66) क्र. सं. 240 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(67) क्र. सं. 241, 242, 248, और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(68) क्र. सं. 250, 251 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(69) क्र. सं. 257 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “9 और 108” रखी जाएगी ;

(70) क्र. सं. 257 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“257 क.	39, 48 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित माल जब निर्यात के लिए हस्तशिल्प मद के विनिर्माण में उपयोग के लिए सद्भावी निर्यात को द्वारा आयात किए गएहों, अर्थात्:- (क) फोटोफ्रेम का पृष्ठभाग, फोटोफ्रेम या डब्बे के लिए फिटिंग (ख) निर्यात उत्पादों पर लगाने के लिए सजावटी डिजाइन	शून्य	-	9 और 108

		(ग) लैंप छाया के लिए सजावटी पेपर (घ) फोटोफ्रेम के लिए प्रिंट (ङ) फर्नीचर के लिए हार्डवेयर पीतल और धातु फिटिंग (च) कर्तरिका के लिए हैंडल/ब्लैड (छ) इनले कार्ड, सेंसर, स्टिकर, पोली बैग, अलार्म टैग, अलार्म चिप, सुरक्षा चिप (ज) जिपर, जिपर हैड, कसनी, खींचने वाला, स्लाइडर, एण्ड स्टोपर, अक्षिका, हुक, नेत्र, रिबट, स्टड, बटन, चुंबकीय बटन, बक्कल, गलनीयकशीदा-कारी प्रिंट, सेक्विन, धातु चैन, कुत्ते का हुक, 'डी' रिंग, 'ओ' रिंग, सेतु फिटिंग, धातु फ्रेम/बैग फ्रेम, धातु अक्षर/आंतरिक प्लेट/लोगो (झ) प्लास्टिक/स्टेनलैस स्टील/धातु की स्वचालित मशीन के लिए टोंटी/लोशन पंप			
257ख.	39, 48 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित माल जब निर्यात के लिए वस्त्र या चमड़े के कपड़ों के विनिर्माण में उपयोग के लिए सद्भावी निर्यातकों द्वारा आयात किए गए हों, अर्थात् :- (क) कसनी जिसमें बटन और काटने वाली कसनी/जिप कसनी शामिल है (ख) इनले कार्ड (ग) बक्कल, अक्षिका, हुक और नेत्र, रिबट (घ) कालर स्टेज, कालर पेटीज, बटरफ्लाई और अन्य कपड़ा स्टेजजिसमें प्लास्टिक स्टेज शामिल है (ङ) कशीदा-कारी हस्तशील या प्रिंट (च) फीतें (छ) बैज जिसमें कशीदा-कारी बैज शामिल है (ज) सिक्वेन (झ) खूंटियां (ञ) स्टड (ट) प्रिंटेड थैले (ठ) चोरी विरोधी युक्ति जैसे लेबल्स,	शून्य		9और108

		टैग और सेंसर (इ) पोली पाउच, उच्च संघनता स्टीकर, उष्मा अंतरण स्टीकर (ई) ड्रा स्टैरिंग हुडिड जैकिटपर एंगलैट (ण) पैकिंग के लिए पिन बुलैट, प्लास्टिक टैग बुलैट, धातु घुंड़ी, कमान, अंगुठी और स्लाइडर तथा रिंग (त) अस्तर और आंतरिक अस्तर सामग्री (थ) भीगा हुआ नीला टैन्ड लेदर क्रोम			
257ग.	39, 48 या कोई अन्य अध्याय	निर्यात के लिए लेदर या सिंथेटिक फुटवेयर या अन्य लेदर उत्पादों के विनिर्माण के लिए वास्तविक निर्यातकों द्वारा जब आयात किया गया हो, निम्नलिखित माल अर्थात् :- (क) बक्कल, “डी” रिंग और “ओ” रिंग सुराख, हुक और अक्षि, कीलक, दोहरा बटन, सजावटी फिटिंग और धातु ट्रिमिंग; (ख) बटन और स्लेप बंधक, जिप बंधक; (ग) लाक जिसके अन्तर्गत चुम्बकीय लाक भी है; (घ) मेटल हैंडल, हैंडल फिटिंग, हैंडल होल्डर, मेटल फ्रेम, डागहुक, सभी प्रकार के लाग्स, रिंग बिन्डर्स, की-हुक, चाबी का छल्ला, की-होल्डर, पुश क्लिप, चेन, पुलर के पार्ट, हिंस और चुम्बकीय स्लेप; (ङ) लूप कीलक और लूप औवल; (च) पैकिंग बाक्स; (छ) त्रिकोण वृक्ष; (ज) फिटिंग्स, मेटल या एलोए के स्लेप;	शून्य	-	9 और 108”;

		(झ) मेटल फिटिंग्स, अलंकरण, साज और जीनसाज मदों को बनाने के लिए किसी सामग्री का निवाड़; (ञ) त्रिकोण वृक्ष को बनाने के लिए उपयोग में आने वाली किसी सामग्री का रकाब और रकाब बार; (ट) कृत्रिम फर और अलार्म टैग; (ठ) लेदर माल में प्रयोग किए जाने वाला चुम्बक; (ड) माइक्रोपैक लेबल; (ढ) भीगा नीला टैन्ड लेदर क्रोम;			
--	--	--	--	--	--

(71) क्रम सं. 262 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(72) क्रम सं. 268 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(73) क्रम सं. 277 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(74) क्रम सं. 281 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(75) क्रम सं. 288 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(76) क्रम सं. 289 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” ;

(77) क्रम सं. 292, के सामने, स्तंभ (4) में दोनों स्थानों पर “शून्य” प्रविष्टि के स्थान पर “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(78) क्रम सं. 293 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(79) क्रम संख्यांक 306, 307, 308, 309, 310, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(80) क्रम सं. 324 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(81) क्रम संख्यांक 327, 328 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(82) क्रम सं. 332 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(83) क्रम सं. 338 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(84) क्रम सं. 342 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(85) क्रम सं. 343 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(86) क्रम सं. 344 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 1 मई, 2022 से निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“344.	71	बिना जड़ा हुआ और बिना कटा हुआ आयातित रूबी, पन्ना और नीलम	0.5%	-	”;

(87) क्रम सं. 345 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“345क.	7102 21, 7102 31 00	साधारण स्वान हीरा	शून्य	-	110”;

(88) क्रम संख्यांक 349, 350 और 351 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(89) क्रम सं. 364 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(90) क्रम संख्यांक 366, 367 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(91) क्रम संख्यांक 368 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा;

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” ;

(92) क्रम सं. 369 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(93) क्रम सं. 376क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् 1 मई, 2022 से निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“376कक.	7226 11 00	सभी माल	5%	-	-”;

(94) क्रम संख्यांक 382, 383, 384, 385 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(95) क्रम संख्यांक 390क, 391 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(96) (क) क्रम सं. 391 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“391क.	8112 61 00, 8112 69 00	निम्नलिखित माल, अर्थात्:- (i) अनगढ़ा कैडमियम पाउडर (ii) गढ़ा कैडमियम (iii) वेस्ट और स्क्रेप	5% 5% 5%	- - -	- - -”;

(ख) क्रम सं. 391क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(97) क्रम संख्यांक 393, 394 और 395 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” ;

(98) क्रम सं. 396 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2022 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” ;

(99) क्रम संख्यांक 397, 399 और 400 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(100) क्रम सं. 402 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(101) क्रम सं. 403 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” ;

(102) क्रम सं. 404 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“404.	27, 31, 38, 39, 73, 82, 84, 85, 87, 89 या 90 ।	सूची 33 के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल जब पेट्रोलियम प्रचालन या कोयला संस्तर मीथेन के संबंध में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित के अधीन आयात किया गया हो: (क) पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा; (ख) नई खोज अनुज्ञापन संबंधी नीति; (ग) मार्जिनल फील्ड पालिसी (एमएफपी) ; (घ) कोयला संस्तर मीथेन नीति; (ङ) हाईड्रोकार्बन खोज अनुज्ञापन नीति (एचईएलपी) या खुला क्षेत्रफल अनुज्ञापन नीति (ओएएलपी); स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति एक अनुज्ञप्तिधारी, पट्टेदार, ठेकेदार या उप-ठेकेदार है जैसा नीचे परिभाषित है:- (i) ‘अनुज्ञप्तिधारी’ से तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) के उपबंधों के अधीन बनाए गए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अधीन मंजूर पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्ति के अनुसरण में खनिज तेल (जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी सम्मिलित है) के अभिप्राय के लिए प्राधिकृत अभिप्रेत है। (ii) ‘पट्टेदार’ से तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) के उपबंधों के अधीन बनाए गए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अधीन मंजूर पेट्रोलियम खनन पट्टा के अनुसरण में खनन तेल (जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी सम्मिलित है) के अभिप्राय के लिए प्राधिकृत अभिप्रेत है। (iii) ‘ठेकेदार’ से कम्पनी (भारतीय या विदेशी) या कम्पनी का संघ अभिप्रेत है जिसके साथ ऐसी कम्पनी या संघ द्वारा	शून्य	5%	48”;

		अपनाए जाने के लिए (खनिज तेल के विस्तार या उत्पादन के पूर्वोक्षण से मिलकर बनने वाले) पेट्रोलियम प्रचालन से संगत किसी करार में केन्द्रीय सरकार सम्मिलित है। (iv) 'उप-ठेकेदार' से यथास्थिति ऐसे अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार या ठेकेदार की ओर से पेट्रोलियम प्रचालन करने के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार या ठेकेदार द्वारा लगाया गया व्यक्ति अभिप्रेत है।			
--	--	---	--	--	--

(103) क्रम सं. 405 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु खंड (1) और खंड (3) में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2022 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” ;

“परन्तु यह और कि खंड (2), (4) और खंड (5) में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(104) क्रम संख्यांक 406, 407, 408 और 409 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(105) क्रम संख्यांक 410, 413 और 414 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2022 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(106) क्रम संख्यांक 424, 425 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(107) क्रम सं. 430 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(108) क्रम सं. 431 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(109) क्रम सं. 432 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(110) क्रम सं. 433 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2022 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(111) क्रम सं. 434 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(112) क्रम सं. 436 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(113) क्रम संख्यांक 439 और 440 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(114) क्रम सं. 442 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(115) क्रम सं. 443 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(116) क्रम संख्यांक 444, 445 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(117) क्रम सं. 448 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(118) क्रम सं. 448ख उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(119) क्रम सं. 449 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(120) क्रम सं. 450 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(121) क्रम सं. 451क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“451ख.	8419	काफी के विनिर्माण या प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली काफी को भूतने, किण्वासन या वेडिंग मशीन	7.5%	-	-”;

(122) क्रम संख्यांक 452, 452क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(123) क्रम संख्यांक 455, 458 और 460 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(124) क्रम सं. 461 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2022 से रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“461.	8444, 8445, 8446, 8447, 8448 (सिवाय 8448 31 00), 8449	सभी माल परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी	5%	-	-”;

(125) क्रम सं. 464 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“464क.	7325 10 00 8477 90 00	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी के विनिर्माण में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित माल,			

	8483 40 00	(टैरिफ मद 8477 10 00, 8477 20 00, 8477 30 00):			
		(i) एस जी इनगोट कास्टिंग (7325 10 00) ;	7.5%	-	9
		(ii) लाइनर मोशन गार्ड (8477 90 00)	5%	-	9
		(iii) बाल स्कू (8483 40 00)	5%	-	9";

(126) क्रम सं. 466 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(127) क्रम संख्यांक 469, और 470 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(128) क्रम सं. 479 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(129) क्रम संख्यांक 481, 481क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(130) क्रम सं. 485 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(131) क्रम संख्यांक 487, 488 और 489 उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(132) क्रम संख्यांक 492, 493 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(133) (क) क्रम सं. 494 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टियों के स्थान पर “9030 31 00, 9030 90 10” प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2022 से रखी जाएंगी;

(ख) क्रम सं. 494 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2022 से लोप किया जाएगा;

(134) क्रम सं. 496 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(135) क्रम सं. 501 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(136) क्रम संख्यांक 505, 506, 507, 508 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(137) क्रम सं. 513 के सामने, स्तंभ (3) में,-

(क) खंड (क) में, उपखंड (ii), (iii) और (iv) का लोप किया जाएगा;

(ख) अंत में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(138) क्रम सं. 525 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“525.	8702 या 8704	विद्युत चालित वाहन, यदि आयात किया जाता है - (1) अधूरा या बिना तैयार किया गया, बैटरीपैक, मोटर, मोटर नियंत्रक, चार्जर, पावर		-	-”;

		कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनिटर, कॉन्टैक्टर, ब्रेक सिस्टम इलेक्ट्रिक दबाव सहित एक संपूर्ण वाहन को संयोजित करने के लिए आवश्यक घटकों, भागों या उप-संयोजन युक्त नॉकडाउन किट के रूप में, चाहे व्यक्तिगत रूप से पूर्व-संयोजन के साथ या नहीं, के साथ – (क) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई भी एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और चेसिस पर नहीं लगाया गया है (ख) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन चेसिस पर नहीं लगाया गया है (2) उपरोक्त (1) के सिवाय किसी अन्य रूप में स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, इस प्रविष्टि की मदों (1) (क) और (1) (ख) में अन्तर्विष्ट छूट उपलब्ध होगी, यद्यपि यदि संयोजन के लिए आवश्यक एक या अधिक घटकों, भागों या उप-संयोजनों की आवश्यकता हो एक पूर्ण वाहन किट में आयात नहीं किया जाता है, परन्तु कि प्रस्तुत किट, निर्वचन के साधारण नियमों के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 8702 या 8704 के अधीन वर्गीकरणीय है।”;	15%		
			25%		
			40%		

(139) क्रम सं. 526क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“526क.	8703	विद्युत चालित वाहन, यदि आयात किया जाता है - (1) अधूरा या बिना तैयार किया गया, बैटरीपैक, मोटर, मोटर नियंत्रक, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनिटर, कॉन्टैक्टर, ब्रेक सिस्टम इलेक्ट्रिक दबाव सहित एक संपूर्ण वाहन को संयोजित करने के लिए आवश्यक घटकों,		-	”;

		भागों या उप-संयोजन युक्त नॉकडाउन किट के रूप में, चाहे व्यक्तिगत रूप से पूर्व-संयोजन के साथ या नहीं, के साथ –			
		(क) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई भी एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और चेसिस पर नहीं लगाया गया है	15%		
		(ख) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन चेसिस पर नहीं लगाया गया है	30%		
		(2) उपरोक्त (1) के सिवाय किसी अन्य रूप में			
		(क) यूएस \$40,000 से अधिक सीआईएफ मूल्य के साथ	100%		
		(ख) उपरोक्त (क) के सिवाय अन्य	60%		
		स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, इस प्रविष्टि की मदों (1) (क) और (1) (ख) में अन्तर्विष्ट छूट उपलब्ध होगी, यद्यपि यदि संयोजन के लिए आवश्यक एक या अधिक घटकों, भागों या उप-संयोजनों की आवश्यकता हो एक पूर्ण वाहन किट में आयात नहीं किया जाता है, परन्तु कि प्रस्तुत किट, निर्वचन के साधारण नियमों के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 8703 के अधीन वर्गीकरणीय है।”;			

(140) क्रम सं. 531क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“531क.	8711	विद्युत चालित वाहन, यदि आयात किया जाता है - (1) अधूरा या बिना तैयार किया गया, बैटरीपैक, मोटर, मोटर नियंत्रक, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनिटर, कॉन्टैक्टर, ब्रेक		-	-”;

		सिस्टम इलेक्ट्रिक दबाव सहित एक संपूर्ण वाहन को संयोजित करने के लिए आवश्यक घटकों, भागों या उप-संयोजन युक्त नॉकडाउन किट के रूप में, चाहे व्यक्तिगत रूप से पूर्व-संयोजन के साथ या नहीं, के साथ –			
		(क) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई भी एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और चेसिस पर नहीं लगाया गया है	15%		
		(ख) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन चेसिस पर नहीं लगाया गया है	25%		
		(2) उपरोक्त (1) के सिवाय किसी अन्य रूप में	50%		
		स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, इस प्रविष्टि की मदों (1) (क) और (1) (ख) में अन्तर्विष्ट छूट उपलब्ध होगी, यद्यपि यदि संयोजन के लिए आवश्यक एक या अधिक घटकों, भागों या उप-संयोजनों की आवश्यकता हो एक पूर्ण वाहन किट में आयात नहीं किया जाता है, परन्तु कि प्रस्तुत किट, निर्वचन के साधारण नियमों के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 8711 के अधीन वर्गीकरणीय है।”;			

(141) क्रम सं. 541 उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(142) क्रम सं. 547 उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(143) क्रम सं. 552 उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(144) क्रम सं. 554 उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(145) क्रम संख्यांक 556, 557 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(146) क्रम सं. 563 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां 1 मई, 2022 से रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“563.	9019 10 20,	चिकित्सा, शल्यचिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए अपेक्षित माल	5%	-	-”;

	9022 90 10 या 9022 90 30	स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "माल" शब्द केवल चिकित्सा, शल्यचिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए अपेक्षित चिकित्सा उपकरणों या साधित्रों को निर्देशित करता है और इसके पुर्जों और इसके छुटपुट को निर्देशित नहीं करता है।			
--	--------------------------------	--	--	--	--

(147) क्रम संख्या 563क के सामने –

(क) स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, 1 मई, 2022 से प्रविष्टि "9018 90 99 या 9022 (9022 90 10 या 9022 90 30 के सिवाय)" रखी जाएगी;

(ख) स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"निम्नलिखित के सिवाय सभी माल, -

(i) चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रेमशीन (9022 14 20 या 9022 14 90);

(ii) उपरोक्त (i) में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात्:-

(क) स्टेटिक यूजर इंटरफेस (9018 90 99);

(ख) एक्स-रे डायग्नोस्टिक टेबल (9022 90 40);

(ग) लंबवत् बकी (9022 90 90);

(घ) एक्स-रेट्यूब निलंबन (9022 90 90);

(ड.) उच्च आवृत्ति एक्स-रेजेनरेटर (> 25किलोहर्ट्ज़, <500एमए) (9022 14 10);

(च) एक्स-रेग्रिड (9022 90 90);

(छ) मल्टी लीफ कोलीमेटर/आइरिस (9022 29 00 or 9022 90 90).";

(148) क्रम संख्या 564 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग (9022 14 20 या 9022 14 90) के लिए एक्स-रे मशीनों के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल के सिवाय शीर्ष 9018, 9019, 9020, 9021, या 9022 के अधीन आने वाले माल के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चे पदार्थों, भागों या उपसाधनों, अर्थात्:-

(क) स्टेटिक यूजर इंटरफेस(9018 90 99);

(ख) एक्स-रे डायग्नोस्टिक टेबल (9022 90 40);

(ग) लंबवत् बकी (9022 90 90);

(घ) एक्स-रे ट्यूब निलंबन (9022 90 90);

(ड.) उच्च आवृत्ति एक्स-रे जेनरेटर (> 25किलोहर्ट्ज़, <500एमए) (9022 14 10);

(च) एक्स-रेग्रिड(9022 90 90);

(छ) मल्टी लीफ कोलीमेटर/आइरिस (9022 29 00 or 9022 90 90).";

(149) क्रम संख्यांक 564क, 564ख, 564ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2022 से लोप किया जाएगा;

(150) क्रम संख्या 584 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(151) क्रम संख्यांक 588, 589, 590 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(152) क्रम संख्या 591 के सामने, -

(क) स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, 1 मई, 2022 से “95030091” प्रविष्टि को रखा जाएगा ;

(ख स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “25%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(153) क्रम संख्या 594 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रवृत्त होगी”;

(154) क्रम संख्या 594क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(155) क्रम संख्या 597 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“597.	9801	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित माल,- (i) कोयला खनन परियोजना; (ii) लौह अयस्क पैलेट संयंत्र/परियोजनाएं और लौह अयस्क हितकारी संयंत्र/परियोजनाएं (iii) विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, जिसके अंतर्गत गैस टर्बाइन विद्युत परियोजनाएं भी हैं (विद्युत उत्पादन से भिन्न क्रियाकलापों में लगे परियोजनाओं द्वारा स्थापित आवद्ध विद्युत संयंत्र को छोड़कर) (iv) बार्ग माउंटेड विद्युत संयंत्र (v) विद्युत पारेषण, उप पारेषण या वितरण परियोजनाएं परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।	शून्य 2.5% 5% 5% 5%	- - - - -	111 111 111 111 111;” ;

(156) क्रम संख्या 598 और 599 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में क्रमशः अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी.”;

(ख) स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर “95 और 111” प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(157) क्रम संख्या 600 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“600	9801	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित माल,- (क) एलएनजी रीगैसीफिकेशन संयंत्र के लिए परियोजना; (ख) एरियल पैसेंजर रोपवे परियोजना परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।	5% 5%	- -	111 111;” ;

(158) क्रम संख्या 601 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।.”;

(ख) स्तंभ (6) में, “111” प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(159) क्रम संख्या 602 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।.”;

(ख) स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर “96 और 111” प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(160) क्रम संख्या 603 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।.”;

(ख) स्तंभ (6) में, “111” प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(161) क्रम संख्या 604 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।.”;

(ख) स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर “97 और 111” प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(162) क्रम संख्या 605 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।.”;

(ख) स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर “98 और 111” प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(163) क्रम संख्या 606 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।.”;

(ख) स्तंभ (6) में, “111” प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी।

II. (क) सारणी के पश्चात् पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) दूसरे परंतुक में, “यह और कि” शब्द का लोप किया जाएगा ;

III. दूसरे परंतुक के पश्चात्, स्पष्टीकरण में, खंड (III) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(IV) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि अधिसूचना की सारणी की क्रम संख्या के अधीन दी गई सशर्त छूट, जैसा कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, जिसके लिए विधिमान्यता की अवधि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, जब तक कि उसमें फेरफार या विखंडित नहीं किया जाता है, नीचे दी गई उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख तक विधिमान्य होगी।

सारणी 2

क्र. सं.	इस अधिसूचना की सारणी की क्र. सं.	वह तारीख जिस तक यह विधिमान्य है
(1)	(2)	(3)
1.	16, 90, 133, 139, 150, 155, 164, 165, 168, 183, 184, 188, 204, 213, 237, 238, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 269, 271, 276, 277क, 279, 280, 325, 333, 334, 339, 340, 341, 341क, 353, 364क, 374, 375, 378, 379, 380, 381, 387, 392, 415, 415क, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 426, 428, 429, 441, 462, 463, 464, 471, 472, 475, 478, 482, 489ख, 495, 497, 504, 509, 510, 511, 512, 512क, 516, 519, 534, 535, 535क, 536,	31 मार्च, 2024

	538, 540, 542, 543, 544, 546, 549, 550, 559, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 575, 577, 578क, 579, 580, 581, 583, 593, 612	
2.	17, 80क, 104, 172, 191, 257, 257क, 257ख, 257ग, 265, 290, 292, 293क, 296क, 326, 329, 345क, 354, 355, 356, 357, 422, 423, 442, 446, 451, 464क, 517, 591।	31 मार्च, 2024। ¹

IV. उपाबंध में,-

- (i) शर्त संख्या 14 का लोप किया जाएगा ;
- (ii) शर्त संख्या 16 में “डचेन मस्कलर एट्रोफी” शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर “डचेन मस्कलर डस्ट्रोफी” शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) शर्त संख्यांक 17, 19, 21, 28, 32, 33, 34 और 36 का लोप किया जाएगा ;
- (iv) शर्त संख्या 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शर्त या प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात :-

“48.	यदि, - (क) आयातक एक अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या ठेकेदार है, यथास्थिति वह संबंधित सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को एक दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करेगा कि वह एक निर्दिष्ट व्यक्ति की श्रेणी में आता है और शुल्क, जुर्माने या शास्ति जो देय है के भुगतान के लिए एक वचनबद्ध देगा यदि इस अधिसूचना की किन्हीं शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है; (ख) आयातक एक उप ठेकेदार है, तो वह आयात के समय, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त को, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र जो संबंधित अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या ठेकेदार को ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, प्रस्तुत करेगा जो यह प्रमाणित करता है कि माल यथास्थिति ऐसी अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या ठेकेदार या उप-ठेकेदार से वचनबद्ध के साथ विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आशयित है और शुल्क, जुर्माने या शास्ति जो देय हो जाती है के भुगतान के लिए दायी है, यदि इस अधिसूचना की किन्हीं शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है ; (ग) आयातक या कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति (अन्तरणकर्ता) किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्ति को (अन्तरिति) माल अन्तरित करता है, - (i) अन्तरणकर्ता यथास्थिति संबंधित सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को, ऐसे अंतरण के बारे में सूचना देगा और ऐसे अंतरित किए गए माल के संबंध में स्वयं को प्रभावोन्मुक्त करेगा ; (ii) अंतरिती इस अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन करने के लिए एक वचनबद्ध देगा, मानो वह इन मालों का आयातक हो। (iii) जहां अंतरिती एक उप-ठेकेदार है, वहां यथास्थिति, ऐसे उप-ठेकेदार के पट्टेदार या पट्टेकर्ता या
------	--

	अनुज्ञाधिकारी उस मामले में जहां इस अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन में उप-ठेकेदार असफल हो जाता है, शुल्क, जुर्माने या शास्ति का भुगतान करने के लिए स्वयं को दायी बनाने वाला एक अतिरिक्त वचनबद्ध भी देगा। (घ) ऐसे आयात किए गए माल अप्रयोज्य प्ररूप या स्कैप के रूप में उनके उपयोग के पश्चात् उनका निपटान करना ईप्सित है, यथास्थिति, आयातक या अंतरिती ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य की 7.5% प्रतिशत दर पर शुल्क का भुगतान करके एमएसटीसी या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य सरकारी अभिकरण के माध्यम से इन मालों का निपटान कर सकेगा। स्पष्टीकरण - इस शर्त के प्रयोजन के लिए, 1 फरवरी, 2022 को या उससे पहले आयात किए गए माल का शुल्क की रियायती दर का दावा करते हुए, या तो ऐसे मोलों के लिए इस शर्त या किसी प्रक्रिया की छूट के अधीन 2 फरवरी, 2022 को या उसके पश्चात् निपटान किया है, इस शर्त के खंड (घ) के अनुसार निपटान कर सकेगा।";
--	--

(v) शर्त संख्यांक 61, 73, 92, 93 और 94 का लोप किया जाएगा ;

(vi) शर्त संख्यांक 108 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शर्त और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"108.	यदि आयातित माल का उपयोग करते हुए विनिर्मित मर्दों को उक्त आयातित माल के आयात की तारीख से छह महीने के भीतर आयातक द्वारा निर्यात किया गया है";
-------	--

(vii) शर्त संख्या 109, के पश्चात् निम्नलिखित शर्त संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"110.	यदि, आयातक यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष यह प्रमाणित करते हुए कि आयातित माल हीरे हैं, वह सरलता से चीरे गए के सिवाय कोई अन्य कार्य नहीं किया गया है, किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन स्कीम (केपीएस) के अधीन जारी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
111.	यदि माल परियोजना आयात विनियम, 1986 के अनुपालन में संबंधित सीमाशुल्क हाउस के साथ 30 सितंबर, 2022 को या पूर्व रजिस्ट्रीकृत संविदा के विरुद्ध आयात किया गया है।
112.	यदि माल निम्न द्वारा आयात किया जाता है, - (क) अनुसूची 35 में सूचीबद्ध उत्कृष्टता केंद्र; या (ख) अनुसूची 35 में सूचीबद्ध किसी उत्कृष्टता केंद्र की सिफारिश पर कोई व्यक्ति या संस्थान, यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति (नाम) जिसके लिए आपधियां या दवाईयां आयात की जा रही हैं, एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है (नाम से विनिर्दिष्ट किया जाए) और उक्त दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए ऐसी औषधियां या दवाईयां अपेक्षित हैं।"

(viii) सूची 1 या उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सूची और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"सूची 1 (सारणी की क्र. सं. 104 देखें)

(1) अम्ल सोडियम कार्बोनेट (सोडियम बाइकार्बोनेट)

- (2) बेटर
 - (3) डेब
 - (4) सिकअम्ल
 - (5) सुचीकारक निकष और चटनी
 - (6) सुचीकारक तेल
 - (7) खाद्य रंग
 - (8) खाद्य एनजाइम
 - (9) खाद्य ग्रेड फास्फेट
 - (10) खाद्य मेरीनेट
 - (11) खाद्य टेन्डराइजर्स
 - (12) प्राकृतिक खाद्य गम
 - (13) ओटीआर ताजा मछली बैग (ओक्सीजन प्रवेश्य)
 - (14) खरीदार की अपेक्षा के अनुसार पोलिप्रोपलिन बॉक्स
 - (15) डिब्बा या बॉक्स पर टैग के लिए आरएफआईडी लेबल
 - (16) सीज नगसाट/अल जैसे सोडियम काब नेट, पोटैसियम टारेट
 - (17) सोडियम सिट्रेट
 - (18) खरीदार की अपेक्षा के अनुसार ठोस बोर्ड बॉक्स
 - (19) सोर्बिटोल
 - (20) स्टार्च (गेहूं/गैर-गेहूं)/ पूर्व जिलेटिनाइज्ड स्टार्च
- (ix) सूची 3 में,-
- (i) मद संख्यांक 3, 7, 8, 12, 22, 25, 27, 28, 30, 33, 38, 39, 43, 44, 49, 50, 53, 54, 61, 62, 68, 70, 80, 86, 88, 93, 97, 99, 102, 107, 109, 110, 15, 117, 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
 - (ii) मद संख्या 95 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2023 से लोप किया जाएगा ;
 - (iii) मद संख्या 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां 2 फरवरी, 2022 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
 - “(123) यकृत-शोथ ख प्रतिजन की पहचान के लिए नैदानिक कारक
 - (124) एचआईवी रोग प्रतिकारक की पहचान के लिए नैदानिक किट
 - (125) किट एलिसा किट प्रतिरक्षित अवशोषक जांच से संबंधित एन्जाइम।”;
- (x) सूची 4 में मद संख्यांक 1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 42, 45, 46, 50, 51, 58, 60, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 89, 91, 98, 99, 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xi) सूची 7 का लोप किया जाएगा ;
- (xii) सूची 10 में मद संख्यांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2022 से लोप किया जाएगा ;
- (xiii) सूची 11 में, मद संख्या 4 में उप मद संख्या (ख), (ग), (ङ), (च) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2022 से लोप किया जाएगा ;

- (xiv) सूची 13 में मद संख्या 3, 5, 7, 8, 10, 17, 22, 23, 24, 25, 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2022 से लोप किया जाएगा ;
- (xv) सूची 17, 18, 23 का लोप किया जाएगा ;
- (xvi) सूची 25 में मद संख्या 1, 3, और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2022 से लोप किया जाएगा ;
- (xvii) सूची 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सूची और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“सूची 33 (सारणी की क्र. सं. 404 देखें)

क्र. सं.	शीर्ष/टैरिफ मद	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7304	i. उप-साधन, संयोजन, क्रोशओवर, योजक के साथ प्रिमियम/क्रोमी केशिंग पाइप और ट्यूबिंग ii. उप-समुद्री पाइपलाइन जिसमें भार, लेप और लपेटना एपीआई 5एल (अमेरिकन पेट्रोलियम संस्थान) सूची एपीआई के उपाबंध-ज और उपाबंध-ज की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली पाइपलाइन
2.	8207	भूमि बोरिंग और चट्टान प्रवेधन सामग्री के लिए प्रवेधन बिट
3.	8413 या 8414	उपस्कर जैसे जल इंजेक्शन, गैस टूबाइन, उप सतही पंप और प्रक्रिया के लिए कंप्रेसर के सभी प्रकार और उत्पादन प्लेटफार्म तथा उप-सतही पंप और चूषक रोड पंप, उच्च दाब वाल्व
4.	8430	तेल और गैस युक्ति (अभितट) पेट्रोलियम और गैस कुआ प्रवेधन मशीनरी और पेट्रोलियम प्रचालन अपतट और अभितट के लिए विशेष सेवा हेतु उपस्कर/इकाई
5.	8475	उच्च टैंप वाल्व
6.	85311090	अग्निरोधक सिग्नलिंग उपकरण
7.	87053000	अग्निशमन वाहन
8.	8905	i. तेल और गैस युक्ति (अपतट), प्लेटफार्म प्रक्रिया और उत्पादन तथा समुद्री जलयान और नौका ii. तेल और गैस युक्ति तथा विशेष सेवा, हलके जलयान, तलकषक, प्लवी क्रेन और अन्य जलयानों के लिए उपस्कर, नौगम्यता जो कि अपने मुख्य कृत्य की समनुषंगी है ; प्लवी डोक्स ; प्लवी और पनडुब्बी प्रवेधन या उत्पादन प्लेटफार्म – बांधने के लिए रस्सी, जंजीर, शैकल योजक समुद्री हौज और संबंधित उपस्कर
9.	8906 90 00	प्रदूषण नियंत्रण के लिए रक्षा नौका, उत्तरजीविता जलयान, रक्षा जलयान, जलयान
10.	8907	तेल भंडारण और संबंधित उपस्कर के लिए प्रयुक्त होने वाले तेल टैंकर, अन्य प्लवी संरचना (उदाहरण के लिए वेडे, टैंक कोफर डैम, अवतरण स्टैज, बोयस और बेकन)
11.	9015	पेट्रोलियम प्रचालन के लिए भू-वैज्ञानिक और भू-भौतिकी उपस्कर, लोर्गिंग इकाई, सर्वेक्षण जलयान अपेक्षा
12.	90200000	श्वास अनुप्रयोग और गैस मास्क

13.	90301000	अग्नि और गैस परिचय उपस्कर जिसमें एच2एस मानिटरींग उपस्कर शामिल है
14.	2710 3811 3824 3905 3104 20 00	तेलक्षेत्र रसायन जैसे पोटेशियम फॉर्मेट, होलो ग्लास स्फीयर ग्रेड- IV, जलीय फिल्म बनाने वाला फोम 6% यूएस मिल, ग्लूटाराल्डिहाइड, हाइड्रोक्सीमिथाइल फॉस्फोनियम सल्फेट, अमोनियम पर्सल्फेट, डेमल्सीफायर कम तापमान, पोटेशियम क्लोराइड, आंशिक रूप से हाइड्रोलाइज्ड पॉली एक्रिलामाइड, जैथम गम पॉलिमर और तेल और गैस कुओं विशिष्ट सीमेंट योजक
15.	73, 84, 85, 87, 89 और 90	क्र. संख्यांक 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 में निर्दिष्ट भागों के लिए पुर्जे और उपसाधन।

(xviii) क्र. सं. 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सूची और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“सूची 35 (सारणी की क्र. सं. 167क देखें)

- (1) एम्स, नई दिल्ली
- (2) सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स, बेंगलुरु
- (3) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
- (4) किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल, मुंबई
- (5) मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली
- (6) निज़ाम आयुर्विज्ञान संस्थान, सिकंदराबाद
- (7) पीजीआईएमआर, चंडीगढ़
- (8) संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ।”

2. अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना सं. 55/2021-सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो संख्यांक सा.का.नि. 904 (अ) तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 02/2022-Customs

G.S.R. 76 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

I. in the Table, -

- (1) S. No. 3A and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (2) S. No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (3) (a) for S. No. 6 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6.	0306	Live Vannamei shrimp (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	10%	-	-
6A.	0306	Live Black tiger shrimp (<i>Penaeus monodon</i>)	10%	-	-
6B.	0306 19 00	Frozen Krill	15%	-	-
6C.	0307 32 00	Frozen Mussels	15%	-	-
6D.	0307 43 20	Frozen Squids	15%	-	-";

(b) S. Nos. 6, 6A, 6C, 6D and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;

- (4) S. Nos. 12, 13, 14 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (5) (a) for S. No. 15 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"15.	0511 10 00	Bovine Semen	5%	-	-";

(b) S. No. 15 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;

- (6) S. No. 22 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (7) S. No. 26 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (8) S. No. 27 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (9) S. No. 28 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (10) S. Nos. 29, 30 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;

- (11) S. No. 31 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (12) S. No. 33 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (13) S. Nos. 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (14) S. No. 48 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (15) S. No. 50 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (16) (a) against S. No. 51, in column (4), for the entry, the entry “5%” shall be substituted;
(b) S. No. 51 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (17) S. No. 52 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (18) S. No. 55 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (19) after S. No. 80 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“80A.	1518	Algal Oil for manufacturing of aquatic feed	15%	-	9”;

- (20) S. No. 82 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (21) S. No. 91 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (22) (a) after S. No. 91 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“91A.	1801 00 00	Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted	15%	-	-”;

- (b) S. No. 91A and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (23) S. No. 96 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (24) S. No. 97 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (25) against S. No. 100, for the entry in column (2), the entry “2008 93 00, 2202 99” shall be substituted;
- (26) S. Nos. 106, 117 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (27) S. Nos. 119A, 120, 121 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (28) S. No. 122 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (29) S. No. 123 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (30) S. No. 124 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (31) S. No. 127 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;

- (32) S. Nos. 129, 130 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (33) against S. No. 132, in column (3),-
- (a) in clause (A), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-
- “Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after 31st March, 2023.”;
- (b) clause (B) shall be omitted;
- (34) S. Nos. 134, 135, 136, 137, 138 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (35) S. Nos. 142, 143, 144, 146, 147, 147A and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (36) after S. No. 147A and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“147B.	2710 19	Fuel oil	2.5%	-	-
147C.	2710 19	Straight run fuel oil	2.5%	-	-
147D.	2710 19	Low sulphur wax residue	2.5%	-	-
147E.	2710 19	Vacuum residue, Slurry	2.5%	-	-
147F.	2710 19	vacuum gas oil	2.5%	-	-”;

- (37) S. No. 151 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (38) S. No. 154 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (39) S. Nos. 156, 157, 157A and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (40) S. Nos. 159, 161 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (41) against S. No. 166, in column (2), for the entries, the entries “28, 29, 30 or 38” shall be substituted;
- (42) after S. No. 166 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2024, namely:-

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“166A.	28, 29 or 30	Bulk drugs used in the manufacture of:			
		(i) Poliomyelitis Vaccine (Inactivated and live)	5%	-	9
		(ii) Monocomponent insulins	5%	-	9”;

- (43) against S. No. 167, in column (3),-
- (a) clause (C) and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) after clause (C) so omitted, the following clause and entries relating thereto shall be inserted, which shall remain in force till the 31st day of March, 2024, namely:-

(3)	(4)	(5)	(6)
“(D) Bulk drugs used in the manufacture of:			
(i) Poliomyelitis Vaccine (Inactivated and live)	Nil	-	9
(ii) Monocomponent insulins	Nil	-	9”;

- (44) after S. No. 167 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"167A.	30 or 9804	Drugs or medicines used for treatment of rare diseases	Nil	-	112";

- (45) (a) against S. No. 169, in column (2), after the entry "2823 00 10", the entry "2837 11 00" shall be inserted;
- (b) S. No. 169 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (46) S. No. 171 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (47) S. No. 173 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (48) S. No. 174 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (49) S. No. 175 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (50) S. No. 178 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (51) S. No. 180 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (52) S. No. 182 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (53) S. No. 185 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (54) S. No. 187 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (55) S. No. 192 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (56) S. Nos. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (57) against S. No. 200, in column (4), for the entry, the entry "2.5%" shall be substituted;
- (58) S. Nos. 200, 201, 202A and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (59) (a) after S. No. 204 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"204A.	2915 21 00	Acetic Acid	5%	-	-";

- (b) S. No. 204A and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (60) S. Nos. 206, 207, 208, 210, 211 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (61) S. Nos. 215, 216, 216A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (62) S. No. 219 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (63) S. No. 224 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (64) S. Nos. 231, 232 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;

- (65) S. Nos. 233, 234, 235, 236 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (66) S. No. 240 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (67) S. Nos. 241, 242, 248 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (68) S. Nos. 250, 251 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (69) against S. No. 257, in column (6), for the entry, the entries “9 and 108” shall be substituted;
- (70) after S. No. 257 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“257A.	39, 48 or any other Chapter	The following goods, when imported by bonafide exporters for use in the manufacture of handicraft items for export, namely:- (a) back of photo frames, fittings for photo frame / box (b) motifs for attachment on export products (c) decorative paper for lamp shade (d) prints for photo frames (e) hardware brass and metal fittings for furniture (f) handles/blades for cutlery (g) inlay cards, sensors, stickers, poly bags, alarm tags, alarm chips, security chips (h) zipper, zipper head, fasteners, pullers, sliders, end stoppers, eyelets, hooks, eyes, rivets, studs, buttons, magnet buttons, buckles, fusible embroider prints, sequins, metal chain, dog hook, ‘D’ ring, ‘O’ ring, bridge fitting, metal frame / bag frame, metal letters /interior plate/logo (i) faucet / lotion pump for dispensers of plastic/stainless steel/metal	Nil	-	9 and 108
257B.	39, 48 or any other Chapter	The following goods, when imported by bonafide exporters for use in the manufacture of textile or leather garments for export, namely: - (a) fasteners including buttons and snap fasteners, zip fasteners (b) inlay cards	Nil	-	9 and 108

		(c) buckles, eyelets, hooks and eyes, rivets (d) collar stays, collar patties, butterfly and other garment stays including plastic stays (e) embroidery motifs or prints (f) laces (g) badges including embroidered badges (h) sequins (i) toggles (j) studs (k) printed bags (l) anti-theft devices like labels, tags and sensors (m) poly pouch, high density sticker, heat transfer sticker (n) anglets on draw strings-hooded jacket (o) pin bullets for packing, plastic tag bullets, metal tabs, bows, ring and slider and rings; (p) lining and inter-lining materials (q) wet blue chrome tanned leather			
257C.	39, 48 or any other Chapter	The following goods, when imported by bonafide exporters for use in the manufacture of leather or synthetic footwear, or other leather products, for export, namely: - (a) buckles, “D” Rings and “O” Rings, eyelets, hooks and eyes, rivets, studs, decorative fittings and metal trimmings (b) buttons and snap fasteners, zip fasteners (c) locks including magnetic locks (d) metal handles, handle fittings, handle holder, metal frames, dog hooks, logos of all types, ring binders, key hooks, key rings, key holders, push clip, chains, pullers, parts of pullers, hinges and magnetic snaps	Nil	-	9 and 108”;

		(e) loop rivets and loop oval			
		(f) packaging boxes			
		(g) saddle tree			
		(h) fittings, snaps of metals or alloys			
		(i) metal fittings, embellishments, webbing of any material for making harness and saddler items			
		(j) stirrup of any material and stirrup bars used for making saddle tree			
		(k) artificial fur and alarm tag			
		(l) magnets for use in leather goods			
		(m) micropak labels			
		(n) wet blue chrome tanned leather			

- (71) S. No. 262 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (72) S. No. 268 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (73) S. No. 277 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (74) S. No. 281 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (75) S. No. 288 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (76) against S. No. 289, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-
 “Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;
- (77) against S. No. 292, in column (4), for the entry “Nil” at both places, the entry “2.5%” shall be substituted;
- (78) S. No. 293 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (79) S. Nos. 306, 307, 308, 309, 310, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (80) S. No. 324 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (81) S. Nos. 327, 328 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (82) S. No. 332 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (83) S. No. 338 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (84) S. No. 342 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (85) S. No. 343 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;

- (86) for S. No. 344 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted with effect from the 1st day of May, 2022, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“344.	71	Rubies, emeralds and sapphires, unset and imported uncut	0.5%	-	-”;

- (87) after S. No. 345 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“345A.	7102 21, 7102 31 00	Simply Sawn Diamonds	Nil	-	110”;

- (88) against S. Nos. 349, 350 and 351 in column (4), for the entry, the entry “5%” shall respectively be substituted;
- (89) S. No. 364 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May 2022;
- (90) S. Nos. 366, 367 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May 2022;
- (91) against S. No. 368, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;

- (92) S. No. 369 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (93) after S. No. 376A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted with effect from the 1st day of May, 2022, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“376AA.	7226 11 00	All goods	5%	-	-”;

- (94) S. Nos. 382, 383, 384, 385 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (95) S. Nos. 390A, 391 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May 2022;
- (96) (a) after S. No. 391 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“391A.	8112 61 00, 8112 69 00	The following goods, namely: -			
		(i) Unwrought cadmium powders	5%	-	-
		(ii) Cadmium wrought	5%	-	-
		(iii) Waste and scrap	5%	-	-”;

- (b) S. No. 391A and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st May, 2022;

- (97) against S. Nos. 393, 394 and 395, in column (3), the following proviso shall respectively be inserted at the end, namely: -

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;

- (98) against S. No. 396, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2022.”;

- (99) against S. Nos. 397, 399 and 400, in column (3), the following proviso shall respectively be inserted at the end, namely: -

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;

- (100) S. No. 402 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (101) against S. No. 403, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;

- (102) for S. No. 404 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“404.	27,31,38,39,73,82,84,85,87,89 or 90.	Goods specified in column (3) of List 33 when imported by a specified person, in relation with petroleum operations or coal bed methane operations undertaken under: (a) petroleum exploration licenses or mining leases (b) the New Exploration Licensing Policy (c) the Marginal Field Policy (MFP) (d) the Coal Bed Methane Policy (e) the Hydrocarbon Exploration Licensing Policy (HELP) or Open Acreage Licensing Policy (OALP) Explanation.- - For the purposes of this notification, a specified person is a licensee, lessee, contractor or sub-contractor, as defined below:- (i) ‘licensee’ means a person authorised to prospect for mineral oils (which include petroleum and natural gas) in pursuance of a petroleum exploration license granted under the Petroleum and	NIL	5%	48”;

		Natural Gas Rules, 1959 made under the provisions of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) (ii) 'lessee' means a person authorised to mine oils (which include petroleum and natural gas) in pursuance of a petroleum mining lease granted under the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 made under the provisions of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) (iii) 'contractor' means a company (Indian or foreign) or a consortium of companies with which the Central Government has entered into an agreement in connection with petroleum operations (consisting of prospecting for or extraction or production of mineral oils) to be undertaken by such company or consortium (iv) 'sub-contractor' means a person engaged by licensee/lessee or contractor for the purpose of conducting petroleum operations on behalf of such licensee/lessee or contractor, as the case maybe			
--	--	--	--	--	--

(103) against S. No. 405, in column (3), the following provisos shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in clauses (1) and (3) shall have effect after the 31st March, 2022:

Provided further that nothing contained in clauses (2), (4) and (5) shall have effect after the 31st March, 2023.”;

(104) against S. Nos. 406, 407, 408 and 409, in column (3), the following proviso shall respectively be inserted at the end, namely: -

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;

(105) against S. Nos. 410, 413 and 414, in column (3), the following proviso shall respectively be inserted at the end, namely: -

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2022.”;

(106) S. Nos. 424, 425 and the entries relating thereto shall be omitted;

(107) against S. No. 430, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;

(108) S. No. 431 and the entries relating thereto shall be omitted;

(109) against S. No. 432, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this entry shall have effect after the 31st March, 2023.”;

- (110) against S. No. 433, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-
“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2022.”;
- (111) against S. No. 434, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-
“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;
- (112) against S. No. 436, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-
“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;
- (113) against S. Nos. 439 and 440, in column (3), the following proviso shall respectively be inserted at the end, namely: -
“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;
- (114) against S. No. 442, in column (4), for the entry, the entry “7.5%” shall be substituted;
- (115) S. No. 443 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (116) against S. Nos. 444 and 445, in column (3), the following proviso shall respectively be inserted at the end, namely: -
“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;
- (117) against S. No. 448, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-
“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;
- (118) S. No. 448B and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (119) S. No. 449 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (120) S. No. 450 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (121) after S. No. 451A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“451B.	8419	Coffee roasting, brewing or vending machines for use in the manufacture or processing of coffee	7.5%	-	-”;

- (122) S. Nos. 452, 452A and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (123) against S. Nos. 455, 458 and 460, in column (3), the following proviso shall respectively be inserted at the end, namely: -
“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;
- (124) for S. No. 461 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2022, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“461.	8444, 8445, 8446, 8447, 8448 (except 8448 31 00), 8449	All Goods Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31 st March, 2023	5%	-	-”;

- (125) after S. No. 464 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“464A.	7325 10 00, 8477 90 00, 8483 40 00	The following goods for use in the manufacture of plastic processing machineries (tariff items 8477 10 00, 8477 20 00, 8477 30 00):			
		(i) S. G. Ingot Castings (7325 10 00)	7.5%	-	9
		(ii) Linear Motion Guides (8477 90 00)	5%	-	9
		(iii) Ball Screws (8483 40 00)	5%	-	9”;

- (126) S. No. 466 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (127) against S. Nos. 469 and 470, in column (3), the following proviso shall respectively be inserted at the end, namely: -
- “Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;
- (128) against S. No. 479, in column (3), the following proviso shall be inserted in the end, namely:-
- “Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2024.”;
- (129) S. Nos. 481, 481A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (130) S. No. 485 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (131) S. Nos. 487, 488, 489 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (132) S. Nos. 492, 493 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (133) (a) against S. No. 494, in column (2), for the entries, the entries “9030 31 00, 9030 90 10” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2022;
- (b) S. No. 494 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022
- (134) S. No. 496 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (135) S. No. 501 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (136) S. Nos. 505, 506, 507, 508 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (137) against S. No. 513, in column (3), -
- (a) in clause (a), sub-clauses (ii), (iii) and (iv) shall be omitted;
- (b) the following proviso shall be inserted at the end, namely: -
- “Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;
- (138) for S. No. 525 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“525.	8702 or 8704	Electrically operated vehicles, if imported,-		-	-”;
		(1) incomplete or unfinished, as a knocked down kit containing necessary components, parts or sub-assemblies for			

		assembling a complete vehicle, including battery pack, motor, motor controller, charger, power control unit, energy monitor, contactor, brake system, electric compressor, whether or not individually pre-assembled, with, – (a) none of the above components, parts or sub-assemblies inter-connected with each other and not mounted on a chassis (b) any of the above components, parts or sub-assemblies inter-connected with each other but not mounted on a chassis (2) in a form other than (1) above,- Explanation. – For the removal of doubts, the exemption contained in the items (1)(a) and (1)(b) of this entry shall be available, even if one or more of the components, parts or sub-assemblies required for assembling a complete vehicle are not imported in the kit, provided that the kit as presented, is classifiable under the heading 8702 or 8704 of the Customs Tariff Act, 1975 as per the general rules of interpretation.”;	15%		
			25%		
			40%		

(139) for S. No. 526A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“526A.	8703	Electrically operated vehicles, if imported,- (1) incomplete or unfinished, as a knocked down kit containing necessary components, parts or sub-assemblies for assembling a complete vehicle, including battery pack, motor, motor controller, charger, power control unit, energy monitor, contactor, brake system, electric compressor, whether or not individually pre-assembled, with, – (a) none of the above components, parts or sub-assemblies inter-connected with each other and not mounted on a chassis (b) any of the above components, parts or sub-assemblies inter-connected with each other but not mounted on a chassis (2) in a form other than (1) above,-	15%	-	”;
			30%		

(140) for S. No 531A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely :-

(141) S. No. 541 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;

- (142) S. No. 547 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (143) S. No. 552 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (144) S. No. 554 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (145) S. Nos. 556, 557 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (146) for S. No. 563 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted with effect from the 1st day of May, 2022, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"563.	9019 10 20, 9022 90 10 or 9022 90 30	Goods required for medical, surgical, dental or veterinary use Explanation. – For the purposes of this entry, the term "Goods" refers to medical instruments or appliances required for medical, surgical, dental or veterinary use only and do not refer to parts and spares thereof	5%	-	-";

- (147) against S. No. 563A, –

- (a) in column (2), for the entries, the entries "9018 90 99 or 9022 (except 9022 90 10 or 9022 90 30)" shall be substituted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (b) in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2022, namely: -

"All goods, other than the following, -

- (i) X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90);
- (ii) The following goods for use in manufacture of goods mentioned at (i) above, namely: -
 - (a) Static User Interface (9018 90 99);
 - (b) X-Ray Diagnostic Table (9022 90 40);
 - (c) Vertical Bucky (9022 90 90);
 - (d) X-Ray Tube Suspension (9022 90 90);
 - (e) High Frequency X-Ray Generator (>25KHz, <500 mA) (9022 14 10);
 - (f) X-Ray Grid (9022 90 90);
 - (g) Multi Leaf Collimator/ Iris (9022 29 00 or 9022 90 90).";

- (148) against S. No. 564, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted with effect from 1st day of April, 2022, namely: -

"Raw materials, parts or accessories for use in manufacture of goods falling under headings 9018, 9019, 9020, 9021, or 9022, other than the following goods for use in manufacture of X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90), namely:-

- (a) Static User Interface (9018 90 99);
- (b) X-Ray Diagnostic Table (9022 90 40);
- (c) Vertical Bucky (9022 90 90);
- (d) X-Ray Tube Suspension (9022 90 90);

- (e) High Frequency X-Ray Generator (>25KHz, <500 mA) (9022 14 10);
 (f) X-Ray Grid (9022 90 90);
 (g) Multi Leaf Collimator/ Iris (9022 29 00 or 9022 90 90).”;

- (149) S. Nos. 564A, 564B, 564C and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2022
- (150) S. No. 584 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (151) S. Nos 588, 589, 590 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (152) against S. No. 591, -
- (a) in column (2), for the entry, the entry “9503 00 91” shall be substituted with effect from the 1st day of May, 2022;
- (b) in column (4), for the entry, the entry “25%” shall be substituted;
- (153) against S. No. 594, in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-
- “Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2023.”;
- (154) S. No. 594A and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of May 2022;
- (155) for S. No 597 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“597.	9801	Goods required for, -			
		(i) coal mining projects	Nil	-	111
		(ii) iron ore pellet plants/projects and iron ore beneficiation plants/projects	2.5%	-	111
		(iii) power generation projects including gas turbine power projects (excluding captive power plants set up by projects engaged in activities other than in power generation)	5%	-	111
		(iv) barge mounted power plants	5%	-	111
		(v) power transmission, sub-transmission or distribution projects	5%	-	111”;
		Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 30 th September, 2023			

- (156) against S. Nos. 598 and 599, -
- (a) in column (3), the following proviso shall respectively be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 30th September, 2023.”;

(b) in column (6), for the entry, the entries “95 and 111” shall be substituted;

(157) for S. No 600 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“600.	9801	Goods required for, - (a) Project for LNG Re-gasification Plant (b) Aerial passenger ropeway project Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 30 th September, 2023	5% 5%	- -	111 111;”

(158) against S. No. 601, -

(a) in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 30th September, 2023.”;

(b) in column (6), the entry “111” shall be inserted;

(159) against S. No. 602, -

(a) in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 30th September, 2023.”;

(b) in column (6), for the entry, the entries “96 and 111” shall be substituted;

(160) against S. No. 603, -

(a) in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 30th September, 2023.”;

(b) in column (6), the entry “111” shall be inserted;

(161) against S. No. 604, -

(a) in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 30th September, 2023.”;

(b) in column (6), for the entry, the entries “97 and 111” shall be substituted;

(162) against S. No. 605, -

(a) in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 30th September, 2023.”;

(b) in column (6), for the entry, the entries “98 and 111” shall be substituted;

(163) against S. No. 606, -

(a) in column (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 30th September, 2023.”;

(b) in column (6), the entry “111” shall be inserted;

- II. (a) the first proviso after the Table shall be omitted;
 (b) in the second proviso, the word “further” shall be omitted;
- III. after the second proviso, in the Explanation, after clause (III), the following clause shall be inserted, namely:-

“(IV) Under the provisions of sub-section (4A) of section 25 of the Customs Act, 1962, it is hereby specified that the conditional exemptions granted under the S. Nos. of the Table to the notification, as are specified in column (2) of the Table below, for which the period of validity is not specified otherwise, shall unless varied or rescinded, be valid upto the date mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table below.

Table 2

S. No.	S. Nos in the Table to this notification	Date up to which valid
(1)	(2)	(3)
1.	16, 90, 133, 139, 150, 155, 164, 165, 168, 183, 184, 188, 204, 213, 237, 238, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 269, 271, 276, 277A, 279, 280, 325, 333, 334, 339, 340, 341, 341A, 353, 364A, 374, 375, 378, 379, 380, 381, 387, 392, 415, 415A, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 426, 428, 429, 441, 462, 463, 464, 471, 472, 475, 478, 482, 489B, 495, 497, 504, 509, 510, 511, 512, 512A, 516, 519, 534, 535, 535A, 536, 538, 540, 542, 543, 544, 546, 549, 550, 559, 565, 566, 567, 568, 570, 575, 577, 578A, 579, 580, 581, 583, 593, 612	31 st March, 2023
2.	17, 80A, 104, 172, 191, 257, 257A, 257B, 257C, 265, 290, 292, 293A, 296A, 326, 329, 345A, 354, 355, 356, 357, 422, 423, 442, 446, 451, 464A, 517, 591.	31 st March, 2024.”;

- IV. in the ANNEXURE, -

- (i) Condition No. 14 shall be omitted;
- (ii) in Condition No. 16, for the words “Duchenne Muscular Atrophy” at both places, the words “Duchenne Muscular Dystrophy” shall be substituted;
- (iii) Condition Nos. 17, 19, 21, 28, 32, 33, 34 and 36 shall be omitted;
- (iv) for Condition No. 48 and the entries relating thereto, the following Condition and entries shall be substituted, namely:

“48.	If, - (a) the importer is a licensee or lessee or contractor, he shall produce to the concerned Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, a document evidencing that he falls in the category of a specified person and give an undertaking to pay duty, fine or penalty that becomes payable, if any of the Conditions of this notification are not complied with; (b) the importer is a sub-contractor, he produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation, a certificate issued by a senior official who is authorised by the Board of Directors to issue such a certificate, of the concerned licensee or lessee or contractor certifying that the goods are intended for specified purpose along with an undertaking from such licensee or lessee or contractor and the sub-contractor, as the case may be, liable to pay duty, fine or penalty that becomes payable, if any of the Conditions of this notification are not complied with; (c) the importer or any specified person (transferor), seeks to transfer the goods to any other specified person (transferee),- (i) the transferor shall give an intimation to the concerned Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, about such transfer and get himself discharged in
------	---

	respect of the goods so transferred; (ii) the transferee shall give an undertaking to comply with the Conditions of this notification, as if he is the importer of these goods. (iii) where the transferee is a sub-contractor, the lessee or the lesser or the licensee or the contractor of such sub-contractor, as the case maybe, shall also give an additional undertaking to make himself liable to pay duty, fine or penalty in case the sub-contractor fails to comply with the Conditions of this notification; (d) the goods so imported are sought to be disposed after their use in unserviceable form or as scrap, the importer or the transferee, as the case may be, shall dispose of these goods, through MSTC, or any other Government agency, notified by the Central Government for this purpose, by paying a duty at the rate of 7.5% of the transaction value of such goods. Explanation.- For the purposes of this Condition, goods imported on or before the 1st day of February, 2022, claiming concessional rate of duty, either under this Condition or any preceding exemption for such goods, are to be disposed off on or after 2nd day of February, 2022, may be disposed off in accordance with clause (d) of this Condition.”;
--	--

(v) Condition Nos. 61, 73, 92, 93 and 94 shall be omitted;

(vi) for Condition No. 108 and the entries relating thereto, the following Condition and entries shall be substituted, namely: -

“108.	If the items manufactured using the imported goods are exported by the importer within six months of the date of the import of the said imported goods.”;
-------	---

(vii) after Condition No. 109, the following Condition Nos. shall be inserted, namely: -

“110.	If, the importer produces before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate issued under Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) certifying that the imported goods are diamonds, not further worked than simply sawn.
111.	If the goods have been imported against contracts registered on or before 30 th September, 2022 with the appropriate Custom House in compliance with the Project Imports Regulations, 1986.
112.	If the goods are imported by, – (a) a Centre of Excellence listed in List 35; or (b) any person or institution on recommendation of any Centre of Excellence listed in List 35, certifying that the person (by name) for whom the drugs or medicines are being imported, is suffering from a rare disease (to be specified by name) and requires these drugs or medicines for the treatment of said rare disease.”;

(viii) for List 1 and the entries relating thereto, the following list and entries shall be substituted, namely:-

“List 1 (See S. No. 104 of the Table)

- (1) Acid Sodium Carbonate (Sodium bicarbonate)
- (2) Batter
- (3) Breadcrumbs
- (4) Citric Acid
- (5) Flavouring extracts, and sauces
- (6) Flavouring Oil

- (7) Food Colours
 (8) Food Enzymes
 (9) Food Grade Phosphates
 (10) Food Marinates
 (11) Food Tenderizers
 (12) Natural Edible Gum
 (13) OTR Fresh Fish Bags (Oxygen Permeable)
 (14) Polypropylene box as per buyer's requirements
 (15) RFID label to tag on carton or box
 (16) Seasoning Salts/acids such as sodium carbonate, potassium hydrogen tartrate
 (17) Sodium Citrate
 (18) Solid board box as per buyer's requirements
 (19) Sorbitol
 (20) Starch (Wheat/non-wheat)/Pre-gelatinized Starch";
- (ix) in List 3, -
- (i) item numbers 3, 7, 8, 12, 22, 25, 27, 28, 30, 33, 38, 39, 43, 44, 49, 50, 53, 54, 61, 62, 68, 70, 80, 86, 88, 93, 97, 99, 102, 107, 109, 110, 115, 117, 121 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) item number 95 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of October, 2023;
- (iii) after item number 122 and the entries relating thereto, the following entries shall be inserted with effect from the 2nd February, 2022, namely: -
- “(123) Diagnostic Agent for detection of Hepatitis B antigen
 (124) Diagnostic kits for detection of HIV antibodies
 (125) Enzyme linked immune absorbent assay kits Elisa kits.”;
- (x) in List 4, item numbers 1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 42, 45, 46, 50, 51, 58, 60, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 89, 91, 98, 99, 110 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xi) List 7 shall be omitted;
- (xii) in List 10, item numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2022;
- (xiii) in List 11, in item number 4, sub-item numbers (b), (c), (e), (f) and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2022;
- (xiv) in List 13, item numbers 3, 5, 7, 8, 10, 17, 22, 23, 24, 25, 26 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2022;
- (xv) Lists 17, 18 and 23 shall be omitted;
- (xvi) in List 25, item numbers 1, 3 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2022;
- (xvii) for List 33 and the entries relating thereto, the following List and entries shall be substituted, namely:-

“List 33 (See S. No. 404 of the Table)

S. No.	Heading/Tariff Item	Description
(1)	(2)	(3)
1.	7304	i. Premium/Chrome Casing pipes and Tubing's along with accessories, connections, crossovers, couplings ii. Sub-sea pipelines including weight coating and wrapping- API 5L (American Petroleum Institute) Line Pipe complying requirement of Annexure-J and Annexure-H of API list
2.	8207	Drilling bits for earth boring and rock drilling tools
3.	8413 or 8414	Equipment like water injection, Gas turbine, sub-surface pumps and all type

		of Compressor for process and production platforms and sub-surface pumps and sucker rod pumps, High pressure Valves
4.	8430	Oil and Gas Rigs (Onshore) Petroleum and Gas well Drilling Machinery and Equipment/Units for specialised services for Offshore and Onshore petroleum operations
5.	8475	High Temp Valve
6.	85311090	Fire prevention signalling apparatus
7.	87053000	Fire fighting vehicles
8.	8905	i. Oil and Gas Rigs (Offshore), Process and Production Platforms and Marine Vessels and Barges ii. Equipment for Oil and Gas Rigs and Specialised Services, Light Vessels, dredges, floating cranes and other vessels, the navigability of which is subsidiary to their main function; floating docs; Floating and submersible drilling or production platforms – Mooring ropes, Chains, Shackles, Coupling Marines hoses and connected equipment
9.	8906 90 00	Life Boats, Survival craft, Life craft, Vessel for Pollution control
10.	8907	Oil tanker to be used for oil storage and connected equipment, other floating structures (for example rafts, tanks, coffer dams, Llanding stages, buoys and beacons)
11.	9015	Geological and Geophysical Equipment, Logging Units, Survey Vessel required for petroleum operations
12.	90200000	Breathing appliances and gas masks
13.	90301000	Fire and gas detection equipment including H ₂ S monitoring equipment
14.	2710 3811 3824 3905 3104 20 00	Oilfield chemicals namely Potassium Formate, Hollow Glass Sphere Grade-IV, Aqueous Film Forming Foam 6% US Mil., Glutaraldehyde, Hydroxymethyl Phosphonium Sulphate, Ammonium Persulphate, Demulsifier Low Temperature, Potassium Chloride, Partially Hydrolysed Poly Acrylamide, Xanthum Gum polymer and Oil and Gas wells specific Cement Additives
15.	73, 84, 85, 87, 89 and 90	Spares and accessories for the parts specified at S. No. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 and 13.”;

(xviii) after List 34 and the entries relating thereto, the following list and entries shall be inserted, namely: -

“List 35 (See S. No. 167A of the Table)

- (1) AIIMS, New Delhi
- (2) Centre for Human Genetics, Bengaluru
- (3) Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Kolkata
- (4) King Edward Memorial Hospital, Mumbai
- (5) Maulana Azad Medical College, New Delhi
- (6) Nizam Institute of Medical Sciences, Secundarabad
- (7) PGIMR, Chandigarh
- (8) Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Science, Lucknow.”;

2. Save as otherwise provided, this notification shall come into force on 2nd February, 2022.

[F. No.334/01/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended vide notification No. 55/2021-Customs, dated the 29th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 904 (E), dated the 29th December, 2021.